<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टीए/1230/2003/अजमेर</u>

1– श्री श्याम सिंह पुत्र श्री गणेश (मृतक) जरिये वारिसानः–

1/1. कैलीदेवी पत्नि श्यामसिंह
1/2. शिवशंकर पुत्र श्यामसिंह
1/3. महादेव पुत्र श्यामसिंह
1/4. मदनसिंह पुत्र श्यामसिंह
1/5. भगवानसिंह पुत्र श्यामसिंह
1/6. राजूसिंह पुत्र श्यामसिंह
1/7. सुनीलसिंह पुत्र श्यामसिंह
1/8. राहुल पुत्र श्यामसिंह
1/9. राकेश पुत्र श्यामसिंह
1/10. लक्ष्मीदेवी पुत्री श्यामसिंह पत्नि पारस
समस्त निवासी गणपति नगर हाउसिंग बोर्ड ब्यावर तहसील व जिला ब्यावर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर
2– नगर परिषद, ब्यावर जरिये अध्यक्ष
3– आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर

.....प्रत्यर्थीगण

<u>खण्ड–पीठ</u>
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

<u>उपस्थित</u> :
श्रीमती पूनम माथुर, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री एस.पी. ओझा, राजकीय अभिभाषक
श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 3

दिनांक : 17–6–2025

<u>निर्णय</u>

1– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत यह द्वितीय अपील न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा अपील संख्या 167/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–2–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने प्रत्यर्थी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसील ब्यावर के ग्राम रोडा जी बाड़िया में स्थित पुराने खसरा नम्बर 1454/1759 जिसके नये नम्बर 1741 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा हैं, गत् 100 वर्षो से वादी के पूर्वज एवं उनकी मृत्यु के उपरांत वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। उन्होंने इस भूमि के चारों ओर पत्थर की पक्की दीवार बना रखी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम के प्रावधान लागू होने उपरांत वे मौरूसी काश्तकार के रूप में इस भूमि के खातेदार हो चुके हैं, किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व अभिलेखों में यह भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई। भू–संशोधन के दौरान यह भूमि नगर परिषद, ब्यावर के नाम दर्ज कर दी गई। हाल जमाबंदी में यह भूमि बिना किसी सक्षम आदेश के नगर परिषद के नाम अंकित है। भूमि नगर परिषद के नाम अंकन हो जाने से दिनांक 16–6–2001 को उनके पूर्वजों के समय से बनी हुई कोटडी के संबंध में नगर परिषद द्वारा नोटिस दिया गया तथा वे उनके पुराने कब्जे को हटाने की धमकी दे रहे हैं। उनके नियमन की कार्यवाही विचाराधीन रहते उन्हें इस भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अतः उनका राजस्व वाद स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करें कि वे अपीलार्थी वादी के कब्जेकाश्त में दखलदांजी न करें। वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया जाने पर उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने उभय पक्ष को सुन कर उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता स्वीकार करते हुये अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30–9–2002 द्वारा अपीलार्थी वादी का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी

अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिन्होंने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14–02–2003 द्वारा अपील खारिज कर दी। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि वाद दर्ज होने उपरांत वादपत्र को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के आधार पर सारांशतः खारिज करना कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में किये गये अभिकथनों के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से अजमेर टेनेन्सी एक्ट के प्रावधानों से भूमि अपीलार्थी की मौरूसी काश्तकारी की होना भली–भांति साबित होता है, जो वाद के साथ प्रस्तुत खतौनी जमाबन्दी से भी स्पष्ट है। अपीलार्थी भूमि का खातेदार काश्तकार है अथवा नहीं, यह वाद में प्रतिवाद प्रस्तुत होने के पश्चात व विवाद बिन्दु निर्धारित किये जाने पर गुणावगुण पर साक्ष्यों की कसौटी पर अंतिम स्तर पर निर्णय करने से पूर्व प्रारम्भिक स्तर पर निर्णित नहीं किया जा सकता था। अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, परन्तु अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित नहीं किया। उसका विवादग्रस्त भूमि पर लम्बे अर्से से चले आ रहे कब्जे के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा निकाले गये आदेशों के आधार पर भूमि अपीलार्थी के पक्ष में नियमन होने योग्य है। इसके कारण अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित न कर अपीलार्थी के विरूद्ध नियमन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के यहां प्रकरण भेजा गया था, जहां प्रकरण अभी विचाराधीन है। इस कारण अपीलार्थी का प्रकरण नियमन बाबत सबज्युडिस होने से उसे अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में केवल प्रत्यर्थी के कथनों के आधार पर अपीलार्थी के वाद को निरस्त करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी का वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत चलने योग्य इस आधार पर नहीं

माना है कि स्थायी निषेधाज्ञा का दावा रिकॉर्डेड खातेदार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है तथा अपीलार्थी ने दावे में घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा है। भूमि पर अपीलार्थी की हैसियत खातेदार काश्तकार की हो चुकी है। दावे में वादी ने यह भी रिलीफ मांगी है कि वाद तथ्यों अनुसार न्यायालय उचित समझे उसके अनुसार उसे अन्य अनुतोष भी प्रदान किया जाये तथा अपीलार्थी की घोषणा की रिलीफ इसमें कवर होती है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपीलार्थी का वाद खारिज कर अपीलार्थी को उसके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करके व दावा खारिज करके दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है। वाद का निस्तारण विवाद्यक, साक्ष्य एंव अभिलेख आदि के आधार पर ही किया जा सकता है न कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के आधार पर। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाकर अपील स्वीकार की जावे।

5– विद्वान अभिभाषकगण प्रत्यर्थी पक्ष ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में मुख्य रूप से अभिकथन किया कि अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया है, जबकि स्थाई निषेधाज्ञा का वाद केवल रिकॉर्डेड खातेदार ही प्रस्तुत कर सकता है। वादी द्वारा भूमि पर घोषणा का अनुतोष भी नहीं मांगा गया है। अपीलार्थी द्वारा दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा सही रूप से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता को स्वीकार कर वादपत्र खारिज किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विचारण न्यायालय के निर्णय को उचित माना है। ऐसे समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है, अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की

पत्रावली में उपलब्ध निर्णय एवं संलग्न अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7– अपीलार्थी वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर न्यायालय में प्रस्तुत दावे में विवादित भूमि पर उसके पूर्वजों के समय से मौरूसी काश्तकार के रूप में अजमेर टिनेन्सी एण्ड लैंड रिकॉर्ड एक्ट के प्रावधानों अनुसार काबिज होना बताकर उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने उपरांत खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का अधिकारी होना जाहिर किया गया है। दावा तथ्यों अनुसार भूमि उनके नाम दर्ज न कर गलत रूप से पूर्व में सिवाय चक तथा बाद में नगर परिषद ब्यावर के नाम दर्ज कर दी गई। दावे में उसने पुराने समय से कब्जा काश्त तथा नियमन का अधिकारी होना बताकर धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करने व वादी को भूमि से बेदखल न करने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा है।

8– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 में प्रावधितानुसार टेनेंट (खातेदार) द्वारा ही स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाया जा सकता है। यदि वादी रिकॉर्ड अनुसार खातेदार नहीं है तो स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु प्रथमतः उसे स्वयं को धारा 88 के तहत खातेदार काश्तकार घोषित करवाना होगा, जिसमें सफल होने पर ही वह स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी होना बनता है। हस्तगत प्रकरण में भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार वादी न होकर नगर परिषद ब्यावर है। वादी द्वारा दावे में धारा 88 के तहत घोषणा की रिलीफ क्लेम न कर मात्र धारा 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की ही इस्तदुआ की गई है। इस प्रकार दावा विधिसम्मत आधार पर स्पष्टतः चलने योग्य नहीं है। घोषणा की रिलीफ दावे में प्राप्त हो सकने वाले अन्य अनुतोष की श्रेणी की ना होकर वादी को इसे पृथक व प्रमुखता से प्रस्तुत करना आवश्यक है। विधि के सुस्थापित प्रावधान अनुसार चाहे गये अनुतोष के आधार पर अगर दावा मेंटेनेबल न हो तो दावे को प्रारम्भिक चरण में ही अस्वीकार किया जा सकता है। अतः हमारा सुविचारित मत है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का दावे को विधिक आधार पर चलने योग्य न मानकर इसे आदेश 7

नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत होकर इसमें हस्तक्षेप योग्य कोई त्रुटि नहीं है।

9– अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप हस्तगत अपील अस्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष